–:आदेश:–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के शासनादेश संख्या F.No.–11/306/2014-FC, दिनांक– 07.05.2015, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:–941/X–4/18/1–05(04)/2014, दिनांक–26.09.2018 एवं भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के पैरा 11.2 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चपोली से टकोली–चमोगी होते हुए भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.746 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के निर्माण कार्य हेतु कार्य आरम्भ करनें की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है–

1. यह अनुमति जारी होने के एक वर्ष तक ही वैध रहगी।
2. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के अनुसार उक्त मार्ग मे 3 वृक्षों का पातन निहित है।
3. वन भूमि पर कोई भी शिविर स्थापित नही किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत: वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।
5. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई भी अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।
6. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का मोटर मार्ग समतलीकरण हेतु भरान में ही उपयोग किया जायेगा, जिसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
7. भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों/उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा, जिसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाना होगा।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

E-mail:dfotehri_ua@rediffmail.com *Telefax. 01376 - 232077*

पत्रांक : 1224 / 12-1 *नई टिहरी, दिनांक–* 20/12/ 2023

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करनें का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीचौरी, टिहरी वन प्रभाग।
5. वन क्षेत्राधिकारी, टिहरी वन क्षेत्र को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेश में उल्लेखित अनुमति की वैध तिथि तक उक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति की प्राप्ति ना होने की दशा में कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द करवाना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।